पश्चिम मध्य रेल

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/15.

कार्यालय
महानिरीक्षक–सह–मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक–25.08.2015

सीआई ओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय–माह जुलाई–2015 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त, अभियोजन
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जुलाई–2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी	रेलकर्मी	आरपीएफ

					व्यक्ति		
जुलाई –2015	29	29	82780	82780	51	00	00

बुकशुदा रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जुलाई –2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जुलाई –2015	00	00	00	00	00	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह जुलाई –2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
जुलाई –2015	29	29	82780	82780	51	00	00

धारा	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि
137	3017	1285722
138	10259	5068492
139	0	0
141	359	196835
142	0	0
143	2	0
144	1204	653118
145	739	116350
146	13	5200
147	749	173300
153	0	0
154	12	23000
155	1072	116300
156	229	28900
157	0	0
159	766	144450
160	11	0
161	1	500
162	521	41350
163	0	0
164	1	0
165	2	0
166	1	500
167	37	3500
172	0	0
173	0	0
174	9	15000
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**19004**	**7872517**

रेल अधिनियम के तहत माह जुलाई 2015 में की गई कार्यवाही का विवरण

रे.सु.ब./पमरे द्वारा माह के दौरान किये गये अन्य अच्छे कार्यो का ब्यौरा :-

a. दिनांक 03.07.2015 को कोटा स्टेशन पर उप निरीक्षक हरफुल सिंह भदाला मय स्टाफ के प्लेटफार्म नं 4 पर खडी गाडी सं. 18573 विशाखापटनम व भगत की कोठी पर गश्त के दौरान एक व्यक्ति क्रीम व काले कलर के बैग के साथ छुपते हुए संदिग्ध हालत में पकडा। जिसके पास बैग में 03 पैकेट मादक पदार्थ पाये जाने पर, जीआरपी को तुरन्त सूचना दी गई। उक्त व्यक्ति की तलाशी जीआरपी प्रभारी श्री संजय भार्मा द्वारा लेने पर, उक्त बरामद पैकेटों में कुल 03 किग्रा मादक पदार्थ गांजा कीमत कुल 30000/-पाया गया। जिसे जीआरपी द्वारा अपने कब्जे में लेकर, उक्त पकडे गये व्यक्ति नाम रत्नाकर नाग पुत्र केदार नाग, उम्र-36 वर्ष, जाति - हरिजन निवासी - गोपालपुर, जिला-कालाहाण्डी उडीसा के विरुद्ध जीआरपी थाना कोटा द्वारा अपराध क्रमांक 168/2015 धारा 8/20 NDPS Act दिनांक 04.07.2015 कायम कर, मामले को जॉच में लिया गया।

b. दिनांक 03.07.2015 को गाडी सं. 59812 के सामान्य कोच में आमली - इन्द्रगढ स्टेशनों के यात्री श्री दिग्विजय पुत्र हरिचरण, निवासी - करौली , श्री चन्दर सिंह पुत्र गजराज निवासी नगलिया, जिला रामपुर ,व श्री सतीश पुत्र कल्ली, निवासी हिन्डोन के साथ 05-06 व्यक्तियों द्वारा छीना झपटी करने की सूचना पर, गाड़ी के कोटा स्टेशन पर पहुॅचने पर रेसुब उप निरीक्षक आर.के. यादव व जीआरपी प्रधान आरक्षक उम्मेद सिंह द्वारा गाडी को अटेण्ड कर, उक्त तानों पीडित यात्रियों की निशानदेही पर दो व्यक्ति नाम मो. आरिफ पुत्र नूर मोहम्मद उम्र-20 वर्ष निवासी -चन्द्रघटा पाटनपोल, कोटा व सुल्तान खान पुत्र फरियाद खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी संजय नगर विज्ञान नगर कोटा को पकडा तलाशी लेने पर उक्त दोनो के पास चाकू बरामद किये गयें। दोनों के विरुद्ध जीआरपी थाना कोटा द्वारा क्रमशः अपराध क्रमांक 171/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व अपराध क्रमांक 172/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दिनांक 03.07.2015 कायम कर, मामले को जॉच में लिया गया।

c. दिनांक 03.07.2015 को एक बच्चा घर से भाग जाने की सूचना पर रेल सुरक्षा बल पोस्ट बीना से सउनि के. पी.शर्मा व हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक विजय बहादुर सिंह द्वारा गाडी क्रमांक 12138 पंजाब मेल के बीना आने पर आगे के सामान्य कोच को चैक किया जिसमे यात्रियो ने बताया कि यहां एक लडका अपने घर में बिना बताये भाग कर जा रहा है। जिस पर रेसुबल स्टाफ द्वारा उक्त लडके को बीना स्टेशन पर उतार कर रेसुबल पोस्ट बीना लेकर आये तथा उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रंजीत कुमार पुत्र श्री जगदीश उम्र 16 साल निवासी ग्राम घनश्यामपुरा थाना जसवंत नगर जिला इटावा उ.प्र. और उसके द्वारा बताये गये मोबाईल नंबर 08445482051 पर संपर्क करने पर उसके पिता श्री घनश्याम मिले जिनको सूचना दिया बाद उनके रेसुबल पोस्ट बीना पर उपस्थित होने पर उक्त बच्चे को समक्ष गवाहन उनके पिता को सुपुर्द किया गया।

d. दिनांक 03.07.15 को रेसुबल पोस्ट भोपाल से प्रधान आरक्षक बी.बी.गोस्वामी को भोपाल स्टेशन पीएफ नंबर 04 पर 02 बालक लावारिस हालत मे अकेले मिले उक्त प्रधान आरक्षक द्वारा मौके पर दोनो बालको से पूछताछ करने पर एक बालक ने अपना नाम रेहान दूसरे ने अक्षय तथा होशंगाबाद का रहना व बिना किसी गार्जियन के दोनो ने किसी ट्रेन से भोपाल आना बताया,जिस पर प्रधान आरक्षक ने दोनो बच्चो को लेकर पोस्ट आया पुनःपूछताछ करने पर बच्चो द्वारा संतोष जनक जबाब नही देने पर बालक 01 रोहन पुत्र संजू उम्र करीबन 08 साल निवासी होशंगाबाद व 02 अक्षय पुत्र राजू उम्र करीबन 06 वर्ष को चाईल्ड लाईन भोपाल के टीम मैनेजर श्री शैलेन्द्र दुबे के संरंक्षण मे उपनिरीक्षक एम.एस.पटेल रेसुबल पोस्ट भोपाल द्वारा सुपुर्द किया गया।

e. दिनांक 04.7.2015 को 15 दिन पूर्व बिना बताये घर से भागे 14 वर्षीय बालक दीपक पवार पुत्र राजू पवार ग्राम-तिमरा तहसील-उमेरु जिला-छिंदवारा (म.प्र.) रेसुबल पोस्ट इटारसी स्टेशन से उप निरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी, द्वारा जीवोदय के सिवम कश्यप पुत्र बाबू कश्यप नाईट केयर को सुपुर्द किया एवं बालक के पिता से फोन पर बात करने पर 05.07.2015 को आना बताया, इस कारण से सुरक्षित जीवोदय संस्था में पहुँचाया।

f. दिनांक 05.07.2015 को गाड़ी सं. 12953 डा अगस्त क्रान्ती राजधानी एक्सप्रेस में तैनात रेसुब ईस्कोर्ट पार्टी प्रधान आरक्षक नरसी लाल मीना, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह व आरक्षक समय सिंह गुर्जर को दौराने गस्त, पीएनआर नं. 8135447435 के तहत मुम्बई सेन्ट्रल से निजामुद्दीन तक अपने परिवार के साथ कोच सं. ए-3

की बर्थ सं. 43 से 46 पर यात्रा कर रहे यात्री ड़ा0 सचिन बिन्द्रा पुत्र वी.एस.बिन्द्रा, उम्र -36 वर्ष निवासी बिन्द्रा निवास सुन्दरबाग कालोनी पु.थाना नहान हिमाचल प्रदेश, ने बड़ौदा स्टेशन के पास उसकी पत्नी को एक लेडिज पर्स जिसमें ड्रायविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, बीमाकार्ड, बैंक लॉकर की चाबियॉ, भोपिंग कार्ड व नगद 6000/- गाडी में विभिन्न कोचों से कुल 07 यात्रियों के कुल नगद रूपये 18800/- व मंगलसूत्र, ज्वेलरी आदि कीमती सामान चोरी पाये जाने पर, सुरक्षा पार्टी कोच सं. ए-2 की बर्थ सं. 43 पर टिकट पीएनआर नं. 8137259328 के तहत मुम्बई सेन्ट्रल से निजामुद्दीन तक की यात्रा कर रहे यात्री दीपक राठी पुत्र जोगेन्द्र राठी, उम्र 22 वर्ष, निवासी बी -310, बुलन्द मस्जिद, नियर भ्रांती पार्क, पूर्वी दिल्ली -110053 के पिठ्ठु बैग से बरामद कर, जीआरपी थाना निजामुद्दीन ले जाकर सुपर्द किया गया। पीडित यात्री ड़ा. सचिन बिन्द्रा, श्री केतन बंसल एंव मधु सक्सैना द्वारा जीआरपी निजामुद्दीन को कार्यवाही हेतु एफआईआर दी गई जिस पर जीआरपी निजामुद्दीन द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जीआरपी निजामुद्दीन अ0क्र0 0253/15 धारा 380,411 भा.द.सं. दिनांक 05.07.2015 कायम किया गया।

g. दिनांक 07.07.2015 को निरीक्षक रेसुब इटारसी को मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुबल सोलापुर (मध्य रेल) का वाट्सएप संदेश प्राप्त होने पर गाडी संख्या 13202 जनता एक्सप्रेस को सघनता से चैक कराने के दौरान कोच संख्या एस-01 की बर्थ नंबर 64 पर एक व्यक्ति जिसका हुलिया प्राप्त मैसेज के हुबहु मिलने पर उससे पूछताछ किया तो उसने अपना नाम पता मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद ननकी शाहा आयु लगभग 21/22 वर्ष निवासी छत्तरगाछ,अंचल-पेठिया जिला किशनगंज बिहार बताया। नाम पता हुलिया केश विन्यास तथा पहनावा भी वाट्सएप पर प्राप्त मैसेज के अनुरुप पाये जाने पर उक्त व्यक्ति को उक्त गाडी से उतार कर रेल सुरक्षा बल पोस्ट इटारसी स्टेशन लाया गया तथा इसकी सूचना थाना प्रभारी पुलिस थाना नवी मुम्बई श्री उल्लहास कदम को दी गयी। थाना प्रभारी पुलिस थाना नवी मुम्बई श्री उल्लहास कदम के आग्रह पर उनकी सहायता करते हुये उक्त संदिग्ध व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही हेतु पोस्ट पर सुरक्षित रोक कर रखा गया। सूचना पर पुलिस थाना नवी मुम्बई के उपनिरीक्षक भारलेकर गोविंद मय स्टाफ दिनांक 08.07.2015 को रेल सुरक्षा बल पोस्ट इटारसी स्टेशन पर उपस्थित हुये। जिसने उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाना नवी मुम्बई मे दर्ज अपराध कमांक 159/2015 धारा 381 आईपीसी दिनांक 07.07.2015 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति पेश की एवं उक्त मामले मे उक्त व्यक्ति मोहम्मद अली आरोपी होने के कारण उसकी मांग करने पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति को उसके स्वयं के व्यक्तिगत सामान के साथ समक्ष गवाहन पाक-साफ हालत मे सुपुर्द किया गया।

h. दिनांक 08.07.15 को रेसुबल पोस्ट भोपाल, आरक्षक देवेन्द्र चक्रवती व आरक्षक जितेन्द्र तिवारी निशातपुरा यार्ड मे गस्त के दौरान दो बालक लावारिस हालत मे संदिग्ध अवस्था मे बैठे मिले पूछताछ करने पर उन्होने अपना नाम मुजबीनील पुत्र सुभात उम्र 05 साल तथा अर्पित उर्फ गबरु पुत्र बबनूर उम्र 05 साल बताया तथा घर से भाग जाना बताया । बाद दोनो बालको को समय 21.00 बजे रेसुबल पोस्ट भोपाल लाया गया। मामले की जानकारी चाइल्ड लाइन व पुलिस थाना छोला निशातपुरा मे भी दी गई। थाना छोला निशातपुरा से यह जानकारी प्राप्त हुई कि दोनो बालको के परिजनो द्वारा बालको के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो कि सुबह से गायव है। बाद दोनो बालको की सूचना उनके परिजनो को दी गई। दोनेा बालको द्वारा अपने अपने परिजनो की पहचान कराकर व बच्चो का ध्यान रखने की हिदायत देकर दो गवाहन के समक्ष बालको को उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

i. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 08.07.15 को गाडी सं0 11065 पवन एक्सप्रेस से मोबाइल चोरी कर ले जाते हुए एक बालक संजय मोर्या वल्द कृष्णचंद्र मोर्या उम्र 14 साल सा0 नई बस्ती गल्ला मंडी के पास, सतना को पकडा गया तथा उसके तांबे से एक गुडवन कंपनी का मोबाइल (आईएमईआई नं.-358676060169906 व 358676060169914) बरामद किया गया था। उक्त आपचारी बालक को उससे बरामद मोबाइल के साथ मय तहरीर के शा.रे.पु. कटनी को सुपुर्द करने पर जीआरपी कटनी द्वारा उसके विरुद्ध अपराध क्र0ः 06/15 धारा 41 (1-4) सीआरपीसी, 379 आईपीसी के तहत पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है।

j. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 08.07.15 को गाडी सं0 22181 गोंडवाना एक्सप्रेस से मोबाइल चोरी कर ले जाते वक्त दो व्यक्तियों 1. छोटू लाल उम्र 20 वर्ष सा0 झर्राटिकुरिया कटनी थाना कोतवाली कटनी जिला कटनी म0प्र0 व 2. जोगेन्द्र उम्र 14 साल सा0 मरघटाई कलारी के पास कटनी थाना कटनी जिला कटनी म0प्र0 को पकड कर उनके तांबे से तीन मोबाइल बरामद किए गए जिन्हें उन्होने उक्त गाडी के यात्रियों से चोरी करना

स्वीकार किया गया। उक्त पकडे गए व्यक्तियों से बरामद किए गए तीनों मोबाइल के साथ मय लिखित तहरीर के जीआरपी कटनी को सुपुर्द करने पर जीआरपी कटनी द्वारा फरियादी श्री अभिषेक राठोर वल्द जगदीश राठोर, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाइनेन्स बरगंवा कटनी म0प्र0, मो. नं. 9584444051 की Samsung Galaxy core 2 IMEI No. 356894061519076- 356894061519073 चोरी होने की फरियाद पर दिनॉक 08.07.15 को छोटू लाल के विरुद्ध अपराध क्र0ः **349/15** धारा 380 आईपीसी के तहत पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया है एवं प्रकरण विवेचना मे लिया गया है। विवेचना अधिकारी श्री प्रमोद जामोदकर, स0उ0नि0/जीआरपी/कटनी हैं।

k. सतना पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 14.07.2015 को आरक्षक श्री एस सी नौटियाल के ड्यूटी के दौरान सतना मालगोदाम पर एक लाल रंग का लावारिस बैग जिसके अन्दर पुरानी शर्ट 05, पुरानी टी शर्ट 01, मलफर ऊनी 01, पुराना गर्म जैकेट, पुराना गमछा, ऊनी कम्बल, ऊनी शाल, जींस पैंट पुराने 02, वेल्ट 01, पासपोर्ट साइज फोटो 03, ताला चाबी सेट 01, प्लास्टिक बैग 01, शंकर पेन बाम उपयोग की हुई 01, परिचय पत्र 01, अधार कार्ड 01, एएफपीएल परिचय पत्र 01, परिचय पत्र फोटो कापी 02, मोबाइल बिल 01, व एक डायरी पाई गई जिसे एलपीओ कार्यालय सतना मे एलपीओ नं. 901 दिनांक 14.07.2015 जमा किया गया।

l. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 16.07.15 को गाडी सं0 51768 से सतना–कटनी के मध्य मोबाइल चोरी कर ले जाते वक्त दो व्यक्तियों 1. जीतू दुवे वल्द श्यामकरण दुवे उम्र 18 वर्ष सा0 विन्द बिहार कालोनी रीवा 2. शिवम शर्मा पिता मनोज शर्मा उम्र 18 वर्ष सब्जी मंडी के पास कटनी थाना कटनी जिला कटनी म0प्र0 को पकडकर उनके तांबे से एक नग मोबाईल Samsung duos IMEI No- 355596/06/395537/9 & 355597/06/395537/7 बरामद किया गया था। पूछतांछ करने पर उसने बताया कि कटनी व मैहर के वेटिंग रुम से लगभग 20 मोबाइल चोरी कर अलग अलग लोगों को बेंचें हैं। माल व मुलजिम जीआरपी को सुपुर्द करने पर जीआरपी कटनी द्वारा उक्त दो व्यक्तियों मे से एक व्यक्ति जीतू दुवे के विरुद्ध अपराध क्र0ः **07/15** धारा 41(14) सीआरपीसी, 379 आईपीसी के तहत पंजीकृत कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया है। विवेचना अधिकारी श्री आर आर सिंह, उ0नि0/जीआरपी/कटनी हैं।

m. दिनांक 16.07.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी स्टेशन से ड्यूटी पर तैनात आरक्षक राजवीर मीणा द्वारा प्लेटफॉर्म पर लावारिस हालत में घूम रहे एक नाबालिक लड़के को रेसुब/इटारसी स्टेशन पर लाकर उपनिरी. श्वेता सूर्यवंशी के समक्ष पेश किया। उक्त बालक ने अपना नाम प्रज्जवल पवार उम्र 15 वर्ष निवासी चंदन गांव थाना छिंदवाडा बताया और बताया कि बैतूल मैं हास्टल में पढता हूँ। जहॉं से 'भाग कर आया हूँ बाद बालक से मोबाइल नं. 9424721307 लेकर पिता गिरजेश पवार से बात कर बालक के संबंध में जानकारी दिया दो गवाहों के समक्ष सुपुर्दगीनामा के तहत नाबालिक सतीश को उनके पिता श्री साहब लाल को सुपुर्द किया गया।

n. रेसुबल पोस्ट इटारसी स्टेशन से दिनांक 16.07.2015 को आरक्षक राहुल यादव को ड्यूटी के दौरान एक नाबालिक लड़का लावारिस हालत में प्लेटफार्म पर घूमते मिला, जिसे लाकर उप निरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी के पास पेश किया। पूछताछ में उक्त नाबालिक लड़के ने अपना नाम कुणाल कनीरे प्रकाश राव कनीरे आयु 16 साल नि–वाडे गॉव, तहसील पांडुरना, जिला छिन्दवाड़ा बताया। उक्त संबंध में उसके पिता को सूचना दी गयी जिस पर उसके पिता रेल सुरक्षा बल पोस्ट इटारसी स्टेशन पर उपस्थित हुए। बाद सुपुर्दगी नामा के तहत उक्त बालक कुणाल को उसके पिता को सुपर्द किया गया।

o. जबलपुर पोस्ट के अंतर्गत दिनॉंक 17.07.15 को महिला आरक्षक चन्द्रकाता पाठक को डियूटी के दौरान गुलाबी सलवार सूट, हरी लैगी पहने हुए सावले रंग की एक लड़की जिसके होठ के नीचे तिल था, लवारिस हालत में घूमते हुए मिली जिसे महिला आरक्षक द्वारा रेल सुरक्षा बल पोस्ट जबलपुर लाकर पूछ्ताछ की गई तो उसने अपना मीना चौधरी पुत्री विनोद चौधरी, उम्र 16 वर्ष बताया बाद चाईल्ड लाईन, जबलपुर को सूचित कर पोस्ट पर बुलाकर उक्त लवारिस लड़की को चाईल्ड लाईन, जबलपुर की टीम मेम्बर वायलेट लुईस को सुपुर्द किया गया।

p. दिनांक 18.07.15 को गाडी संख्या 22692 बैंगलोर–निजामुद्दीन राजधानी एक्स के यात्री देवेन्द्र सिंह पटेल पुत्र के.एस. पटेल उम्र 45 वर्ष कोच एच–1 कूपा मे लोअर बर्थ पीएनआर नं. 2851156614 एक्स. निजामुद्दीन से भोपाल की यात्रा कर रहा था। भोपाल स्टेशन आने पर जल्दवाजी में उतर कर गया। जिसके कारण उनकी बर्थ पर उनका मोबाईल छूट गया। यात्री द्वारा रेसुब पोस्ट भोपाल में शिकायत किये जाने पर उपनिरीक्षक/भोपाल श्री एम.एस.पटेल द्वारा उक्त गाडी को इटारसी में अटैण्ड करने हेतु सूचना दी गई। इटारसी में उपनिरीक्षक श्री

जयभारत द्वारा गाडी को अटैण्ड कर उक्त कोच से छूटे हुये मोबाईल को प्राप्त किया एवं समक्ष गवाहान उक्त मोबाईल यात्री को वापस सुपुर्द किया गया।

q. दिनांक 18.07.15 को यात्री नारायण धुरका पुत्र किशोर अपनी पत्नी उमा धुरका के साथ गाडी संख्या 12724 ए.पी.एक्स. के कोच एस/9 बर्थ नं. 53, 54 पर मथुरा से नागपुर की यात्रा कर रहे थे। इटारसी स्टेशन आने पर यात्री का मोबाईल बाथरूम करते समय लैट्रिन की सीट से गिरकर ट्रेक पर चला गया व गाडी रवाना हो गई। उक्त मोबाईल एक व्यक्ति नाम अशोक कुमार द्वारा आरपीएफ पोस्ट इटारसी में जमा किया गया। बाद उक्त मोबाईल द्वारा यात्री को संपर्क किया गया जिस पर दिनांक 19.07.15 को यात्री नारायण धुरका आरपीएफ पोस्ट इटारसी में उपस्थित हुये। उक्त मोबाईल को जांच उपरांत समक्ष गवाहान के यात्री को सुपुर्द किया गया।

r. कटनी पोस्ट में दिनॉक 20.07.15 को दो महिलाओं को महिला प्रशुक्षुओं की उपस्थिति मे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया गया। जिनके पास एक नग मोबाइल Samsung duos IMEI No-354153/05/106914/3 & 354154/05/106914/1 व 02 सफेद धातु के सिक्के बरामद किए जिन्हें उन्होने यात्रियों से चोरी करना स्वीकार किया। दोनों महिलाओं 1. निशा पत्नि रतन लोंडे उम्र 25 वर्ष सा0 मुस्कान टाकीज के पास झुग्गी झोपडी भोपाल एवं 2. सुधा पत्नि गंगाधर पात्रे उम्र 35 साल सा0 मुस्कान टाकीज के पास झुग्गी झोपडी भोपाल को मोबाइल व दोनों सिक्के मय तहरीर के साथ जीआरपी कटनी को सुपुर्द किया गया था। मामले में जीआरपी कटनी द्वारा उक्त दोनों महिलाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध मे अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

s. दिनांक 21.07.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी मे सूचना प्राप्त होने पर गाडी संख्या 12321 हावडा मेल समय 22.30 बजे आने पर सउनि हरगोविन्ददास मय स्टाफ द्वारा अटैण्ड किया जिसके स्लीपर कोच एस/4 में 03 बच्चे अपने घर से भागे थे। जिन्हें उतार कर डिप्टी एसएस कार्यालय लेकर गये पूछताछ करने पर अपना नाम राकेश तिवारी पुत्र मोहन लाल तिवारी उम्र 13 वर्ष निवासी निवाजगढ थाना चांदा तहसील लमृआ जिला सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश (02) विशाल कुमार तिवारी पुत्र माधव प्रसाद तिवारी उम्र 13 वर्ष निवासी निवाजगढ थाना चांदा तहसील लमृआ जिला सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश (03) सुधीर तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद तिवारी उम्र 17 वर्ष निवासी निवाजगढ थाना चांदा तहसील लमुआ जिला सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश उपरोक्त तीनों बच्चों को बचपन संस्था से नंदा जादव को बुलवाकर उन्हे सुपुर्द किया गया।

t. दिनांक 21/07/15 को घर से भागी दो लडकियो की सूचना पर रेसुबल पोस्ट इटारसी पर सूचना पर उप.निरी. विजय सिंह व आ. आर. बी. कुभंरे व आ. बसंत पटेल को साथ लेकर गाडी क्रमांक 12627 कर्नाटक एक्स. को अटैण्ड किया तो नाबालिक लडकिया 01 गुलनाज व एक अन्य लडकी 02 महजबी उपरी सीट महिला कोच पर बैठी हई थी। जिनसे पूछताछ करने पर उन्होने घर से भागना बताया तथा अपना नाम 01 गुलनाज पुत्री श्री इरशाद उम्र 13 बर्ष निवासी रानी बाई कम्पाउड प्रथम क्रास डीजे हली अरेबिक कालोनी बैगलोर बताया दोनो जीवीदय इटारसी को सुपुर्द कर दिया था। दिनांक 23/07/15 को गुलनाज के माता पिता पोस्ट पर उपस्थित हुए व गुलनाज के संबंध में कागजात पेश किये जिस पर जीवीदय से बुलवाकर गुलनाज को उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया।

u. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 23.07.15 को तीन व्यक्तियों 1. सतीश गोंटिया वल्द संतोष गोंटिया उम्र 19 साल सा0 खिरहनी फाटक बैंकट वार्ड, हनुमान जी मंदिर के पास कटनी, 2. अभिषेक व्यास वल्द ओमप्रकाश व्यास उम्र 25 वर्ष सा0 गॉधीगंज कटनी थाना व जिला कटनी व 3. मुकेश बर्मन वल्द रमेश उम्र 26 साल सा0 गॉधीगंज कटनी थाना व जिला कटनी को पकडा गया जिनके कब्जे से एक मोबाइल LAVA IRIS X1 IMEI No-911441450112986 & 911441450163088 , एक जेन्ट्स पर्स जिसमे 1000 रु0 नगदी, वोटर आईडी, आधार कार्ड प्रकाश मीणा के नाम की तथा एक लेडीज बैग पिंक कलर का जिसमे सफेद धातु के दो नग बच्चे के कंगन, 04 नग पायजेब, 02 नग गले की चैन, एक पीले धातु का बच्चे का लाकेट, 02 नग आर्टिफिशियल मंगलसूत्र व चार नग अर्टिफिशियल चूडियॉ व 140 रु0 पाया गया। पूछताछ करने पर सतीष गोंटिया ने यह भी बताया कि उसके दो अन्य साथी लल्ला यादव व जितेन्द्र निषाद अभी–अभी चोरी के 6000 रु0 लेकर चले गए हैं जो खिरहनी फाटक के पास रहते हैं। पकडे गए उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को बरामद उपरोक्त सामग्री के साथ एवं मय तहरीर के जीआरपी कटनी को सुपुर्द करने पर जीआरपी कटनी द्वारा उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध

क्र0: **373/15** धारा 399, 402 आईपीसी के तहत कायम कर विवेचना मे लिया गया है। विवेचना अधिकारी स0उ0नि0 एच एन त्रिवेदी हैं।

v. दिनांक 23/24.07.2015 को गाडी सं. 12951 डा में तैनात रेसुब ईस्कोर्टिंग पार्टी सउनि महाराज सिंह, हैड कॉ. ब्रजलाल, कॉ. सुआ लाल व कॉ. खेमराज गुर्जर द्वारा गाडी के रतलाम स्टेशन से रवाना होने के बाद गस्त के दौरान बी/3 एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत बिना टिकट पाये जाने पर, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम होशियार कुमार उर्फ अजय पुत्र श्री दुधनाथ, उम्र 25 वर्ष हाल निवासी –मकान नं. 344 लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली बताया तथा उसके पास से एक सैमसंग मोबाईल व एक वायर कटर, व नगद 210 नगद मिले। उक्त चोरित मोबाईल बर्थ सं. 57 पर यात्रा कर रहे यात्री श्री एस.एस.आलम का चोरी होना पाया गया। बाद कोच सं. बी/3 की बर्थ सं. 22 पर यात्री कर रहे यात्री अनिल कुमार भार्मा निवासी 24–10/4 एम जी रोड गुडगांव व बर्थ सं. 9 से 12 तक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे यात्री हरीश बनपीयॉ निवासी – बी/201 मनमय अपार्टमेन्ट न्यू मुम्बई ने बताया कि पकडे गये व्यक्ति द्वारा उनका सामान सीट के नीचे से चोरी करने का प्रयास किया गया था। उनके द्वारा टोकने पर वह वहॉ भाग गया था। गाडी के कोटा स्टेशन पर पहुॅचने पर उक्त पकडे गये व्यक्ति को मय तहरीर के साथ जीआरपी/कोटा को सुपुर्द किया गया। जीआरपी कोटा द्वारा उक्त मामले को घटना स्थल के आधार पर जीआरपी थाना रतलाम को भेजा जहॉ पर जीआरपी/रतलाम द्वारा अपराध क्रमांक 146/2015 धारा 379 भादसं दिनांक 26.07.2015 दर्ज मामले को जॉच में लिया गया।

w. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 24.07.15 को एक बालक आकाश निषाद उम्र 16 वर्ष सा0 हनुमान जी के मंदिर के पास खिरहनी फाटक बैंकट वार्ड कटनी को पकडा तथा उसके तांबे से निम्न 03 नग मोबाइल 1- LAVA IRIS X8 IMEI No- 911433801710766 & 911433801761264, 2. Micromax AD 3520 IMEI No- 911385752115041 & 911385752365547, 3.Samsung Duos IMEI No- 357928061758653 & 357929061758651 बरामद किये गये है। उपरोक्त आपचारी बालक को बरामद मोबाइल एवं तहरीर के साथ जीआरपी कटनी को दिनॉक 24.07.15 को सुपुर्द किया गया है। जीआरपी कटनी द्वारा उपरोक्त आपचारी बालक के विरुद्ध अपराध क्र0: 9/15 धारा 41(1–4) सीआरपीसी, 379 आईपीसी के तहत कायम कर विवेचना मे लिया गया है।

x. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 28.07.15 को रेलवे स्टेशन कटनी के प्लेटफार्म नं0 2 पर एक यात्री अनिल जैसवाल उम्र 29 वर्ष सा0 पुराना कंचनपुर आधारताल, जबलपुर बैठकर मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था उसी दौरान एक बाहरी ब्यक्ति ने उसका मोबाइल छीन लिया एवं भाग गया। पीडित यात्री द्वारा आवाज लगाने पर प्र0आ0 विद्याशंकर मिश्रा द्वारा उक्त व्यक्ति को पकडा गया पूछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता घनश्याम श्रीवास्तव उर्फ मंटू वल्द चंद्रशेखर श्रीवास्तव उम्र 19 साल सा0 राहुल बाग, माई नदी कटनी थाना न्यू कटनी जिला कटनी बताया। उक्त ब्यक्ति के पास निम्न 02 नग मोबाइल Micromax IMEI No- 911255801963370 & 911255801981372, 2. I-BALL IMEI No- 911373050416394 & 911373050518397 मिले जिसे उसने चोरी करना अपना जुर्म स्वीकार किया। उपरोक्त व्यक्ति को बरामद मोबाइल एवं तहरीर के साथ एवं फरियादी को साथ ले जाकर जीआरपी कटनी को दिनॉक 28.07.15 को सुपुर्द किया गया है। जीआरपी कटनी द्वारा दिनॉक 29.07.15 को उपरोक्त ब्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्र0: 383/15 धारा 380 आईपीसी के तहत कायम कर विवेचना मे लिया गया है। विवेचना अधिकारी श्री ए के श्रीवास्तव स0उ0नि0 जीआरपी कटनी हैं।

y. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 28.07.15 को रे0सु0ब0 कटनी द्वारा यात्री संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु बनाई टीम द्वारा कटनी यार्ड से जा रहे एक व्यक्ति को संदिग्ध प्रतीत होने पर रोका तथा पूछताछ करने पर अपना नाम व पता सुनील वल्द संतोष उम्र 21 साल सा0 सराय मोहल्ला कटनी थाना कटनी जिला कटनी म0प्र0 बताया। उक्त व्यक्ति के पास निम्न 03 नग मोबाइल 1. LAVA KKT 34, 2. WING IMEI No- 357430048892234 & 357430048992232, 3. Spice IMEI No- 911320304233240 & 91132030423357 मिले जिसे उसने चोरी करना अपना जुर्म स्वीकार किया। उपरोक्त व्यक्ति को बरामद मोबाइल एवं तहरीर के साथ जीआरपी कटनी को दिनॉक 28.07.15 को सुपुर्द किया गया है। जीआरपी कटनी द्वारा उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्र0: 10/15 धारा 41(1–4) सीआरपीसी, 379 आईपीसी के तहत कायम कर विवेचना मे लिया गया है। विवेचना अधिकारी उ0नि0/जीआरपी/कटनी आर आर सिंह हैं।

z. दिनांक 25.06.2015 से 27.06.2015 तक छटवी बटालियन दयाबस्ती दिल्ली मे हुई अखिल भारतीय श्वान प्रतियोगिता मे पश्चिम मध्य रेल से चार श्वानो ने भाग लिया था जिनमे से भोपाल मंडल के दो श्वानो ने सफलता अर्जित की जिनका विवरण निम्न है। (01) श्वान ऐलेक्स (स्नीफर) :– उक्त श्वान हेण्डलर श्री अशोक

कुमार यादव,आरक्षक रेसुबल श्वानदल इटारसी द्वारा विस्फोटक प्रतियोगिता मे प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसमे हेण्डलर को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। (02) श्वान रोवर (ट्रेकर) उक्त श्वान के हेण्डलर श्री शैलेष कुमार, आरक्षक रेसुबल श्वानदल बीना द्वारा चोरी पकडने की प्रतियोगता मे प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसमे हेण्डलर को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। उक्त प्रतियोगिता मे टीम केप्टन श्री अशोक कुमार सउनि/श्वानदल/हबीबगंज एवं श्री सुनील कोरी आरक्षक श्वानदल भोपाल सहायक के रुप मे भेजे गये थे।

aa. दिनांक 31.07.2015 को उप निरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी को एक बालक इटारसी स्टेशन पर लावारिस हालत में पाया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम परमा मेहतो पुत्र हीरा मेहतो आयु 13 साल निवासी–सब्जी मंडी शनि मन्दिर के पास इटारसी बताया तथा बड़े भाई के मारने के डर से व घर से भाग आया है, उक्त संबंध में लड़के के बड़े भाई भीम मेहतो को सूचित किया गया, तथा उनके पोस्ट पर उपस्थित होने पर समक्ष गवाहन बालक परमा को उसके बड़े भाई भीम मेहतो को सुपुर्द किया गया।

bb. दिनांक 31.07.2015 को बैगेज स्केनर ड्यूटी पर तैनात आरक्षक सनत कुमार मिश्रा द्वारा 04–05 यात्रियों के बैग को मशीन पर स्केन हेतु रखावाया गया, जिसमें से एक बैग में सांप जैसा दिखा, जिस पर वहॉ उपस्थित यात्रियों द्वारा बताया गया कि उक्त बैग का धारक बैग रखकर चला गया, बाद उक्त आरक्षक द्वारा पोस्ट पर सूचित किया गया, जिस पर उप निरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी व स.उ.नि. कमल सिह यादव बैगेज स्केनर पर उपस्थित हुए तथा दो गवाहों के समक्ष उक्त बैग चेक करने पर उसमें किसी वन्य प्राणी के 04 सिंग मिले जो हिरण के सिंग जैसे प्रतीत हो रहे थे, जिसे जप्ती पंचनामा के तहत जप्त कर पोस्ट पर उपस्थित हुए तथा उक्त संबंध में वन विभाग इटारसी के वनपाल एम. के. पटेल को सूचित किया गया, जिस पर श्री एम. के. पटेल रेसुब पोस्ट पर उपस्थित हुए और बताया कि उक्त चारों सिंग कृष्ण मृग के सिंग है, जिनकी लम्बाई नापने पर 01 सिंग 37 सेमी, 01 सिंग 31 सेमी का व 02 सिंग 50 सेमी के पाए गए, जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु वनपाल श्री एम. के. पटेल को सुपुर्द किया गया।

cc. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 751 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकु अधिनियम (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 1,50,200/– रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

-----0000-----